



विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका

1. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक), उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति ;
2. उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक सतर्कता) ;
3. जिला स्तर पर जिला के जिला एवं स्तर न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष; तथा
4. उप- मंडल स्तर पर उप-मंडल में नियुक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश एवं उप-मंडलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ।

विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज पर उपरोक्त लिखित से सम्पर्क कर सकते हैं अगर आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी एक लाख रुपए से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र या आय की घोषणा लगानी जरूरी है । यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है ।

विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के अनुसार वह व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो कि

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों या
2. संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार हों या
3. महिला या बालक हों या
4. मानसिक रोगी या विकलांग हों या
5. अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या आद्योगिक संकट के शिकार हों या
6. आद्योगिक श्रमिक हों या
7. कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सा अस्पताल, मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति हों या
8. हिजड़ा समुदाय से संबंधित हों या
9. ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,00,000 /- (एक लाख) रुपये से कम हो या
10. वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और वार्षिक आय दो लाख से कम हो या
11. HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हों।

मुफ्त कानूनी सहायता के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

1. सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना।
2. न्याय शुल्क (कोर्ट फी) देना।
3. टाइपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना।
4. गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च देना।
5. मुकदमों से सम्बंधित अन्य खर्च देना ।
6. मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमें में कानूनी सलाह प्राप्त करना ।